A33

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्याः 42 /IV(2)-श0वि0–2015–03(JnNURM)13
देहरादून : दिनांक 16 जनवरी, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM) के उपघटक UIDSSMT के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न नगर नगर निकायों हेतु स्वीकृत रोड़ एवं ड्रेन योजनाओं के क्रम में शासनादेश संख्याः 1628/IV(2)-श0वि0–2014–03(JnNURM)13, दिनांक 28.10.2014 द्वारा लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए नगर निकायों हेतु प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित लोक निर्माण विभाग के स्थान पर सम्बन्धित नगर निकायों को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

2– योजनान्तर्गत सम्बन्धित नगर निकायों को धनराशि 03 किस्तों में अवमुक्त की जायेगी। नगर निकायों द्वारा अवमुक्त किस्तों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शहरी विकास निदेशालय/एस0एल0एन0ए0 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किस्त नगर निकायों को अवमुक्त की जायेगी।

3– योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रकृति के अनुरूप पूर्ण इकाई के रूप में निर्मित किया जायेगा। कार्य को छोटे–छोटे टुकड़ों में बांटकर नहीं कराया जायेगा तथा निविदाएं भी इसी के अनुरूप आमंत्रित की जायेगी।

4– स्वीकृत निर्माण कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं ई–टेण्डरिंग के सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्ण किये जायेंगे।

6– योजनान्तर्गत कार्यों की प्रगति/गुणवत्ता के सम्बन्ध में कार्यस्थल के फोटोग्राफ सहित आख्या त्रैमासिक रूप से शासन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

7– जिन नगर निकायों के पास योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं है, के द्वारा योजना के सफल संचालन हेतु तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता किस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी, इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव शहरी विकास निदेशालय एवं शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

8– उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एस0एल0एन0ए0/निदेशालय, नगर निकायों को मार्गदर्शन एवं यथोचित सहयोग प्रदान करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि डी0पी0आर में जो कार्य उल्लिखित किये गये हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य सम्पादित किये जायें।

9– यदि सम्बन्धित नगर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य कराना चाहते हैं, तो वे इस हेतु स्वतंत्र हैं।

10– पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 28.10.2014 में उल्लिखित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

ह0/–
(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

..2/-....

सं0– 42 (1)/IV(2)-शा0वि0–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ। ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
7. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी।
9. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–1 एवं 2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत– नन्दप्रयाग/कर्णप्रयाग/ रूद्रप्रयाग /मुनिकीरेती/नरेन्द्रनगर/पुरोला/जोशीमठ/बड़कोट/उत्तरकाशी/गोपेश्वर (चमोली)।
15. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।